अध्याय-IV: खनन प्राप्तियाँ

4.1 कर प्रशासन

राज्य में खनन क्रिया–कलाप से प्राप्तियों का आरोपण एवं उद्ग्रहण खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) (खा0 एवं ख0वि0 और वि0) अधिनियम, 1957, खनिज परिहार नियमावली, 1960, और उत्तर प्रदेश उप खनिज परिहार (उ0प्र0उ0ख0प0) नियमावली, 1963 द्वारा शासित होता है। प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश, शासन स्तर पर प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग (विभाग) का समग्र नियन्त्रण एवं निर्देशन निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में निहित है। मुख्यालय पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की सहायता दो संयुक्त निदेशक द्वारा की जाती है जिसकी अग्रेतर सहायता मुख्य खान अधिकारी द्वारा की जाती है। जिला स्तर पर, जिला खान अधिकारी (जि0खा0अ0) देय एवं भुगतान योग्य रायल्टी, भाटक एवं अनुज्ञापत्र शुल्क, आदि के निर्धारण के लिए उत्तरदायी है। अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) जिला कलेक्टर के समग्र प्रशासनिक नियन्त्रण के अन्तर्गत खनन प्राप्तियों के संग्रह और लेखा के प्रभारी हैं।

4.2 लेखापरीक्षा का परिणाम

वर्ष 2022-23 के दौरान, भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश की 80 इकाईयों में से 33 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में रायल्टी कम/न वसूल किया जाना एवं अन्य अनियमित्ताओं में सन्निहित ₹ 249.41 करोड़ धनराशि के 6,188 मामले प्रकाश में आये, जैसा कि **तालिका–4.1** में वर्णित है।

तालिका–4.1

क्र0सं0	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)
1	रायल्टी न वसूल किया जाना	1,825	63.53
2	खनिज मूल्यों की वसूली न किया जाना	176	6.75
3	पट्टा विलेखों पर स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण	42	8.65
4	शास्ति का अनारोपण	105	20.50
5	अन्य अनियमितताये[1]	4,040	149.98
योग		**6,188**	**249.41**

[1] भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की कार्यदायी संस्थाओं द्वारा एमएम–11 प्रपत्रों का सत्यापन न किये जाने के कारण राजस्व की हानि, लाइसेंसधारियों/ पट्टेदारों से जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट (जि0ख0फा0ट्र0) में योगदान, ब्याज नहीं लगाये जाने के कारण राजस्व की हानि एवं बकाएदारों से राशि की वसूली न किया जाना।

4.3 खनन पट्टा विलेखों पर स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का कम आरोपण

जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट (जि0ख0फा0ट्र0) में देय अंशदान और/या रायल्टी की कुल राशि को चार खनन पट्टा विलेखों में प्रतिफल को शामिल न किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 95.09 लाख के स्टाम्प शुल्क एवं ₹ 31.95 लाख के निबन्धन फीस का कम आरोपण किया गया।

खनन पट्टे प्रदान करने के लिए पट्टेदारों द्वारा रायल्टी एवं जि0ख0फा0ट्र0 को देय अंशदान (रायल्टी के 10 प्रतिशत के बराबर धनराशि) का किया गया भुगतान प्रतिफल है। खनन पट्टा विलेख पर स्टाम्प शुल्क और निबन्धन फीस[2] आरोपणीय है।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (भा0स्टा0अ0) की अनुसूची I–ख का अनुच्छेद 35 (ख) (एक) प्रावधानित करता है कि जहाँ लीज 30 वर्ष से अधिक नहीं हो, किसी जुर्माना या प्रीमियम के लिये या अग्रिम दिये गये धन के लिये मंजूर किया गया है और जहाँ कि कोई भाटक आरक्षित नहीं है, वहाँ स्टाम्प शुल्क उसके बराबर प्रभार्य होना चाहिए जो ऐसा जुर्माना या प्रीमियम या अग्रिम धन की रकम या मूल्य के, जो लीज में उपवर्णित है, के बराबर प्रतिफल वाले हस्तान्तरण पत्र पर देय है। इन पट्टा विलेखों पर दो/चार[3] प्रतिशत प्रतिफल का स्टाम्प शुल्क प्रभार्य था। इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 35 का स्पष्टीकण (I) कहता है कि जब पट्टाधारक ऐसे आवर्तक प्रभार, जैसे सरकारी लगान, भूस्वामी के भाग का सेस या मकान मालिक के भाग के म्यूनिसिपल रेट्स या टैक्स, जो विधि अनुसार पट्टादाता से वसूल होते हैं, अदा करना स्वीकार करे तो वे धनराशियाँ जिनको अदा करने की सहमति पट्टाधारक द्वारा की गयी हो, किराये का भाग समझी जायेगी।

लेखापरीक्षा ने पाया (मई 2022) कि जि0ख0का0, गाजियाबाद में जून 2018 और नवम्बर 2021 के बीच पाँच वर्ष की अवधि के लिए निष्पादित किये गये चार खनन पट्टा विलेखों में जि0ख0फा0ट्र0 को देय अंशदान को स्टाम्प शुल्क और निबन्धन फीस के प्रभार्यता के लिए प्रतिफल में शामिल नहीं किया गया था। अग्रेतर, यह पाया गया कि इन चार मामलों में से दो में, केवल रायल्टी की आंशिक राशि को प्रतिफल में शामिल किया गया था। इन पट्टा विलेखों में ₹ 174.99 करोड़ के प्रतिफल पर ₹ 5.62 करोड़ प्रभार्य स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस के विरूद्ध ₹ 122.57 करोड़ के प्रतिफल पर ₹ 4.35 करोड़ का स्टाम्प शुल्क प्रभारित किया गया था। इस प्रकार, शासन ₹ 95.09 लाख के स्टाम्प शुल्क एवं ₹ 31.95 लाख के निबन्धन फीस के कम आरोपण के कारण राजस्व से वंचित रहा (**परिशिष्ट-XVII**)।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (नवम्बर 2022)। उनका उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2024)।

---

[2] निबन्धन फीस 12.02.2020 तक ₹ 20,000 देय था। दिनाँक 13.02.2020 से, प्रतिफल राशि का एक प्रतिशत की दर से निबन्धन फीस देय था।

[3] किसी विकास क्षेत्र के अन्दर स्थित अचल सम्पत्ति के मामले में।

4.4 पट्टेदारों द्वारा जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट में अंशदान जमा न किया जाना

जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट (जि0ख0फा0ट्र0) में देय ₹ 2.27 करोड़ का अंशदान दो पट्टेदारों द्वारा जमा नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश सरकार ने (मई 2017) उत्तर प्रदेश जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट नियमावली, 2017 अधिसूचित[4] किया जिसे 12 जनवरी 2015 से प्रभावी माना गया। उत्तर प्रदेश जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट नियमावली, 2017 के नियम 10(2) के अनुसार उप खनिज के मामले में प्रत्येक खनिज रियायत/परमिट धारक रायल्टी के अतिरिक्त एक धनराशि जो रायल्टी के 10 प्रतिशत के बराबर हो या जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाए, उस जिले के ट्रस्ट को भुगतान करेगा जिसमें खनन कार्य किया जाता है। अधिसूचना में यह भी प्रावधान किया गया है कि सम्बन्धित खनन अधिकारी ट्रस्ट निधि के संग्रह के लिए जिम्मेदार होगा और इसे ट्रस्ट द्वारा निर्धारित किसी भी अनुसूचित बैंक में खोले गए ट्रस्ट के खाते में जमा करेगा।

लेखापरीक्षा ने (मई एवं दिसम्बर 2022) जि0ख0का0, गाजियाबाद के सभी पाँच खनन पट्टा विलेखों के अभिलेखों[5] की नमूना जाँच की और पाया कि पाँच खनन पट्टेदारों में से दो पट्टेदारों ने पट्टा विलेख (अक्टूबर 2020/नवम्बर 2021) प्रारम्भ होने के बाद से जि0ख0फा0ट्र0 खाते में ₹ 2.27 करोड़ की धनराशि दिसम्बर 2022 तक जमा नहीं किया था, जैसा कि **परिशिष्ट– XVIII** में वर्णित है।

प्रकरण विभाग को प्रतिवेदित किया गया (मार्च 2023)। विभाग ने अपने उत्तर (मई 2023) में लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और बताया कि जि0ख0फा0ट्र0 धनराशि की वसूली के लिए दोनों पट्टेदारों को नोटिस जारी किए गए हैं। विभाग से अग्रेतर कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई (जनवरी 2024)।

[4] नोटिफिकेशन सं0 866/86-2017-132/2016 दिनाँक 15-05-2017।

[5] पट्टा पत्रावलियाँ एवं चालान।